हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

संख्याः पीसीएच–एचए(1)2/2019– विभाजन/पुर्नगठन 55361-382 27 अगस्त, 2020

अधिसूचना

क्योकि उपायुक्त मण्डी के माध्यम से विभाग में प्राप्त प्रस्तावनाओं के आधार पर और सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार जिला मण्डी के निम्नलिख्ति ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुर्नगठन हेतु, प्रस्तावनाएं विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राजयपाल, हिमाचल प्रदेश पचांयती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप–धाराओं (1) व (2) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मण्डी के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को नियमानुसार विभाजित/पुर्नगठित करने एवं नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) के प्रयोजन हेतु ग्राम सभाओं के गठन करने का प्रस्ताव करते है, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमन्त्रित करने के लिए राज्य सरकार के ई–राजपत्र में प्रकाशित करने और जिला मण्डी के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों एवं आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते है;

यदि निम्न अनुसूचि में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुर्नगठन/जोडने/काटने व फेरबदल इत्यादि के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हो तो वह अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक के (7) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला मण्डी को प्रस्तुत कर सकेगें। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात आक्षेप या सुझाव , जो कोई भी हो, ग्रहण नहीं किए जाएगें;

राज्य सरकार, जिला मण्डी के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुर्नगठन तथा नए ग्रम सभा क्षेत्रों को घोषित करने और उनके लिए नई ग्राम सभाओं के गठन बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला मण्डी की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगीः

क सं	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रमों के नाम	नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम सभा में सम्मिलित होने बाले ग्रमों के नाम	कोष्ठ संख्या 3 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	**विकास खण्ड गोहर**					
	1 बाडा	1 शडान	**अनाह**	1 अनाह	बाडा	**ग्राम पंचायत बाडा में कुल 7 गांव है जिस में एक ग्राम पंचायत गुढार जिसकी अधिसूचना दिनांक 22.8.2020 को जारी कर दी गई है जिसमें 4 गांव सम्मिलित**
		2 गुढार			डी पी एफ बाडा	
		3 बौन्धर				
		4 पनसीर				
		5 अनाह				
		6 बाडा				
		7 डी पी एफ बाडा				

						किए गए है और अब दूसरी ग्राम पंचायत अनाह के नाम से प्रस्तावित है। दो ग्राम पंचायतों के गठन उपरान्त ग्राम पंचायत बाडा में कुल दो गांव शेष रह जाएगें।
	1 चैलचौक	1 नेहरा	**नेहरा स्थित गणई**	1 नेहरा	1 कडाओ	
		2 कडाओ		2 ओयरी	2 घ्यान	
		3 घ्यान			3 चैल	
		4 चैल				
		5 ओयरी				
2	**विकास खण्ड सुन्दरनगर**					
	1 प्रेसी	1 शर्चा	**गलयोग (सीणी)**	1 माना	1 शर्चा	
		2 माना		2 गलयोग	2 प्रेसी	
		3 गलयोग		3 घाडकत्याणा	3 फेगल	
		4 प्रेसी			4 मैहप	
		5 घाडकत्याणा			5 धार कटोह	
		6 फेगल			6 उकडी	
		7 मैहप			7 खुनगराओली	
		8 धार कटोह			8 घैनधल	
		9 उकडी				
		10 खुनगराओली				
		11 घैनधल				
	2 बाडो रोहाडा	1 रोहाडा	**काण्ढी बाडी**	1 बाडो	1 रोहाडा	
		2 चरखडी		2 बन्थल	2 चरखडी	
		3 बाडो		3 डी पी एफ शालाणी		
		4 बन्थल		4 रोपडी		
		5 डी पी एफ शालाणी		5 बाडी		
		6 रोपडी		6 न्याही		
		7 बाडी				
		8 न्याही				
	3 बोबर	1 बोबर	**कन्दार**	1 कन्दार	1 बोबर	
		2 डी0 पी0 एफ0 फागला			2 डी0 पी0 एफ0 फागला	
		3 फागला			3 फागला	
		4 कन्दार				
	4 अप्पर बैहली	1 खतरवाडी	**निचली बैहली मुख्यावास भलवाहण**	1 हरवानी	1 खतरवाडी	

		2 अप्पर बैहली		2 निचली बैहली	2 अप्पर बैहली	
		3 हरवानी				
		4 निचली बैहली				
	4 महादेव	महादेव	**घांघल**	1 घांघल	1 महादेव	
		घांघल				
	5 डोलधार	1 डोल	**फगवास**	1 फगवास	1 डोल	
		2 बढेहतर		2 हफवाणा	2 बढेहतर	
		3 नवाल		3 पंजोग	3 नवाल	
		4 फगवास			4 कोटला	
		5 हफवाणा			5 पनयास	
		6 पंजोग				
		7 कोटला				
		8 पनयास				
	6 कलाहोड	1 कलाहोड	**बीना**	1 बीना	1 कलाहोड	
		2 बीना				
3	**विकास खण्ड धर्मपुर**					
	1 पैहड	1 पैहड	**1 कुमहारडा**	1 कुमहारडा	1 पैहड	
		2 लुधियाणा		2 सिहन	2 लुधियाणा	
		3 कौंसल		3 कुल्हाण	3 कौंसल	
		4 कुमहारडा		4 भतौर		
		5 सिहन	**2 वनेरडी**	1 वनेरडी		
		6 कुल्हाण		2 झरेडा		
		7 वनेरडी		3 मलौन		
		8 मलौन		4 हयोलग		
		9 हयोलग				
		10 झरेडा				
		11 भतौर				
4	**विकास खण्ड सदर**					
	1 ढावण	1 ढावण	**मन्दर**	1 मन्दर खसरा न0 1 से 772	1 ढावण	
		2 डडोह			2 डडोह	
		3 मन्दर खसरा न0 1 से 772				
	2 भ्यारटा	1 भ्यारटा		2 मन्दर खसरा न0 790,794,795	1 भ्यारटा	
		2 मन्दर खसरा न0 790,794,795				
	3 सलवाहन	1 रौव		3 मन्दर खसरा न0 773 से 789, 791 से 793 तथा 796 से 1554	1 रौव	
		2 सलवाहन			2 सलवाहन	
		3 मन्दर खसरा न0				

		773 से 789, 791 से 793 तथा 796 से 1554				
5	**विकास खण्ड करसोगः**					
	बगशाड	1 बगशाड	**शलाग**	1 बेष्ठा	1 बगशाड	पंचायत मैहरन से अपवर्जित करके एक गांव जुजर नव प्रस्तावित ग्ग्राम पंचायत शलाग में सम्मिलित किया गया है।
		2 जनखुनी		2 कुण्ड	2 जनखुनी	
		3 बेष्ठा		3 डी पी एफ धावला	3 शाउंगी	
		4 कुण्ड		4 डमोग	4 मडीउणी	
		5 डी पी एफ धावला		5 खन्देओल	5 डी पी एफ थलटु	
		6 डमोग		6 डी पी एफ बगशाड	6 थल्टु	
		7 खन्देओल		7 शलाग	7 डी पी एफ मण्डप	
		8 शलाग		8 गडारी	8 डी पी एफ खमारू	
		9 गडारी		9 भुरठी	9 धरमौडल	
		10 शाउंगी		10 चौगडा		
		11 मडीउणी		11 गुमा–।।		
		12 डी पी एफ बगशाड		12 दुधली–।।		
		13 डी पी एफ थलटु		13 जुजर		
		14 थल्टु				
		15 डी पी एफ मण्डप				
		16 भुरठी				
		17 डी पी एफ खमारू				
		18 चौगडा				
		19 धरमौडल				
		20 गुमा–।।				
		21 दुधली–।।				
	मैहरन	1 मैहरन			1 मैहरन	
		2 लोहरली			2 लोहरली	
		3 जुजर			3 काण्डी	
		4 काण्डी			4 जिंगल	
		5 जिंगल				

आदेश द्वारा
सचिव (पचांयती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृ0 संख्याः उपरोक्त– 55361-382 दिनांक 27 अगस्त, 2020

प्रतिलिपियां सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः

1. उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि वह इस अधिसूचना के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त सुझवों/आक्षेपों यदि कोई हो, को सुझाव तथा आक्षेप प्राप्त करने की अन्तिम तिथि से 3 दिनों के भीतर निपटारा करके ई–मैल या विशेष वाहक द्वारा इस निदेशालय को प्रेषित करने की कृपा करें।
2. जिला पचांयत अधिकारी मण्डी को इस आश्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना का सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करवाएगें।
3. समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला मण्डी हि0प्र0. को इस आश्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना की एक प्रति सम्बन्धित ग्राम पचांयत के प्रधान/सचिव को सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार करने हेतु उपलब्ध करवाएं तथा इसका व्यापक प्रचार भी सुनिश्चित करें।
4. समस्त सम्बन्धित प्रधान/सचिव ग्राम पचांयत जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को (सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से) इस निर्देश सहित कि वह उक्त अधिसूचना की प्रति का ग्राम सभा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों तथा ग्राम पंचायत के सूचना पटट पर चसपान सुनिश्चित करवाऐगें तथा इस अधिसूचना का समस्त ग्राम सभा क्षेत्र में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करे।

अतिरिक्त निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–9.